न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 28/2023

प्रार्थी

छोगालाल पुत्र सोनाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) मोहित कुमार पुत्र स्वर्गीय खंगारजी, जाति–पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर
(2) भंवरलाल पुत्र स्वर्गीय खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर
(3) रमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर
(4) श्रीमती मंछी देवी पत्नी स्वर्गीय खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर
(5) गीता पुत्री स्वर्गीय खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर
(6) जोशना पुत्री स्वर्गीय खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर
(7) रेखा पुत्री स्वर्गीय खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर
(8) सोवन पुत्री स्वर्गीय खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर
(9) सुकी पुत्री स्वर्गीय खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर
तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
(10) ग्राम पंचायत, कैलाशनगर जरिये सरपंच, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से

–: निर्णय : दिनांक 22 जुलाई, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार छोगालाल पुत्र सोनाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री खंगार जी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में पंचायत संकल्प संख्या 3 दिनांक 15–8–2011 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) अन्तर्गत क्षेत्रफल 5223 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03–11–2011 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नामा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 10 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि ग्राम कैलाशनगर में प्रार्थी निगरानीकार छोगालाल पुत्र सोनाजी पुरोहित के कब्जे अधिकार एवं स्वामित्व की आवासीय सम्पति मकान आया हुआ स्थित है, जिसका पट्टा विलेख संख्या 27, दिनांक 22–7–1966 को ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा प्रार्थी के पिता सोना पुत्र रूपाजी के नाम से जारी शुदा है। प्रार्थी के आवासीय मकान के

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

उत्तर व दक्षिण दिशा में जालाजी व गुलबाजी पुरोहित दर्ज है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने मेल मिलाप कर राजस्थान पंचायती राज नियमों व प्रावधानों की खिलाफवर्जी में प्रार्थी के उत्तर व दक्षिण में दिशा में स्थित खाली भूमि (OPEN LAND) का पट्टा संख्या 18 दिनांक 03.11.2011, कुल नाप 5223 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत् खंगार पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के नाम से जारी किया है, जबकि जिस समय पट्टा जारी किया गया था उस समय उक्त पट्टा संख्या 18 दिनांक 03–11–2011 की सम्पूर्ण भूमि खाली भूमि (OPEN LAND) थी, जिस पर किसी तरह का कोई आवासीय मकान निर्मित नही था। पट्टा जारी होने के बाद अप्रार्थी मोहित कुमार पुत्र खंगार जी ने वर्ष 2023 में ग्राम पंचायत से निर्माण की एन.ओ.सी. विधि विरुद्ध तरीके से प्राप्त कर उक्त पट्टा संख्या 18 दिनांक 03–11–2011 की भूमि के कुछ भाग में मकान का नया निर्माण करवाया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत् केवल पुराने आवासीय मकानात् का नियमितीकरण किया जा सकता है, खाली भूमि (OPEN LAND) का का पट्टा जारी नही किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अनुसार अधिकतम 2700 वर्गफीट में निर्मित पुराने आवासीय मकान का नियमितिकरण किया जा सकता है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा पट्टा विलेख संख्या 18 जारी किये जाने से पुर्व आवश्यक प्रावधानों की पालना नही की है। प्रश्नगत् पट्टा संख्या 18 की भूमि जो गुलबा व जाला पुरोहित के कब्जे में बाडे के रूप में थी, जो खाली भूमि (OPEN LAND) थी, का पट्टा गलत रूप से खंगार पुत्र झालाजी पुरोहित के नाम से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा इस तथ्य की पुष्टि नही की गयी कि झालाजी के स्वर्गीय खंगार जी के अलावा कुल 2 दो पुत्र स्वर्गीय गमना व स्वर्गीय सदाजी भी है, उनके वारिसान् के संबंध में कोई जॉच न तो पत्रावली पर की गयी है, न ही उनके वारिसानों मांगीलाल व रूपाराम पुत्र स्वर्गीय गमनाजी व कुईयाराम, मुपाराम, भंवरलाल पुत्र स्वर्गीय सदाजी, शान्ति पुत्री स्वर्गीय सदाजी की सहमति ही प्राप्त की है। जबकि प्रार्थी छोगालाल के आवासीय मकान के उत्तर व दक्षिण दिशा में जालाजी व गुलबाजी पुरोहित दर्ज है। जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि प्रश्नगत खाली भूमि केवल मात्र खंगार पुत्र श्री झालाजी पुरोहित के कब्जे अधिकार की न होकर, उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी समान रूप से हक अधिकार हासिल था, चुंकि उक्त भूमि OPEN LAND थी, जिससे इसका निस्तारण निलामी के जरिये किया जाना था, जबकि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने बेशकिमती भूमि को मनमानें तरीके से खंगार पुत्र झालाजी पुरोहित को फायदा पहुँचाने के लिये गलत रूप से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत् पट्टा विलेख जारी किया गया, जिससे पंचायत को भारी राजस्व की हानि हुई है। उक्त पट्टे की भूमि के 1/4 भाग पर वर्तमान में अप्रार्थी मोहित कुमार ने दिनांक 15.02.2023 को एन०ओ०सी० प्राप्त कर नये भवन का निर्माण कार्य करवाया है व शेष भूमि आज भी खाली भूमि है, जिससे भी यह प्रमाणित है कि पट्टा संख्या 18 जारी करते समय वहाँ पर कोई पुराना गृह निर्मित नही था एवं न ही पुराना मकान मौके पर है। प्रश्नगत खाली भूमि का निलामी के जरिये निस्तारण किया जाता है तो ग्राम पंचायत, कैलाशनगर को अधिक राजस्व प्राप्त होगा एवम् प्रार्थी भी इस ओपन भूमि से लगता हुआ निवासरत् है, जिससे उसे भी निलामी प्रकिया में भाग लेने का विधिक अवसर प्राप्त होगा। अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा किये जा रहे गलत निर्माण कार्य एन०आ०सी० दिनांक 15.02.2023 से प्रार्थी छोगालाल को इस तथ्य की जानकारी हुई कि खंगार पुत्र झालाजी पुरोहित व इनके पुत्र मोहित कुमार ने ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से मेल मिलाप कर पट्टा संख्या 18 दिनांक 03–11–2011 को नियम विरुद्ध जारी करवाया है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा खंगार जी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी— कैलाशनगर को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 5223 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03—11—2011 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के विद्वान अधिवक्ता श्री नामा ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा खंगार जी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी— कैलाशनगर के हक में उनके पुराने मकान का नियमन करते हुए विधि अनुरुप पट्टा जारी किया है तथा कही पर Open Land नही थी। प्रार्थी निगरानीकार ने अतिशय विलम्ब के बाद करीबन 60 वर्षों बाद झुठे व मनगढत तथ्यो के आधार पर यह निगरानी आवेदन अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों के अनुसार 2700 से अधिक वर्गफीट भूमि का नियमीतिकरण किया जा सकता था जो 5600 वर्गफीट से अधिक भूमि का हो सकता है। ग्राम कैलाशनगर में प्रार्थी के मकान दक्षिण दिशा की तरफ के पडौस में खाली खुला भूखण्ड नहीं होकर मकान आया हुआ था जो जर्जर अवस्था में होने से अप्रार्थीगण द्वारा उसे तोड़कर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से भवन निर्माण इजाजत (अनापत्ति प्रमाण पत्र) दिनांक 15.02.2023 को प्राप्त कर नियमानुसार अप्रार्थीगण नये सिरे से मकान का निर्माण करवा रहे है। अप्रार्थी मोहित कुमार ने प्रार्थी निगरानीकार के पिता सोना पुत्र रूपा, जाति—पुरोहित, निवासी— लास के नाम से तत्कालीन ग्राम पंचायत, लास द्वारा क्षेत्रफल 7072 फीट भूमि के जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 23—7—1966. मिसल संख्या 27/22—11—1966 की नकल ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गयी, जिसका ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के कार्यालय में रेकर्ड उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी मोहित को प्रार्थी के पट्टे की ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से नकल प्राप्त नहीं हो सकी। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता के नाम से जारी उक्त पट्टा संख्या 27 फर्जी एवं कुटरचित है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा दक्षिण में अप्रार्थीगण का खाली एवं खुला भूखण्ड बताया है जो सर्वथा गलत एवं मिथ्या है। दक्षिण में अप्रार्थीगण का पुराना पुश्तैनी कब्जे शुदा भूखण्ड आया हुआ था, जो जर्जर अवस्था में होने की वजह से अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा ग्राम पंचायत कैलाशनगर से दिनांक 15.02.2023 को N.O.C. (भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त कर नियमानुसार नए सिरे से मकान निर्माण कर रहा था, तब प्रार्थी छोगाराम द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार एवं ग्राम पंचायत कैलाशनगर के विरूद्ध एक निगरानी आवेदन, धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसके स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 09/2023 है। इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर बाद विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 08.09.2023 को प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है और माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही ने अपने आदेश में यह अंकित किया कि अप्रार्थी मोहित कुमार के निर्माण कार्य करने से प्रार्थी छोगालाल की दिवार को कोई क्षति नहीं हो रही है, बल्कि प्रार्थी छोगालाल के मकान की दिवार की सुरक्षा होगी। इस प्रकार, प्रार्थी छोगालाल द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही ने प्रथम दृष्टया मामला एवं सुरक्षा का संतुलन अप्रार्थी मोहित कुमार के पक्ष में होने से खारिज किया है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन के साथ पेश किये गये पट्टा संख्या 27 में चतुदर्शी व नाप भिन्न—भिन्न है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 27 में सम्पूर्ण पट्टे का नाप 7072 वर्ग फिट है। जबकि प्रार्थी स्वयं एक अतिक्रमी होकर प्रार्थी ने गली एवं रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है तथा प्रार्थी स्वयं ने पूर्व दिशा में पहाड़ होने पर

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

पहाडी इलाके की भूमि पर भी अतिक्रमण किया, जिस हेतु प्रार्थी के विरूद्ध पट्टे शुदा मकान/प्लाट का सीमाज्ञान करने हेतु अप्रार्थी भंवरलाल पुरोहित ने एक प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को पेश कर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से बार-बार झगडा फंसाद करने एवं अवैध अतिक्रमण करने से सीमाज्ञान कराने का अनुरोध किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिस पर पट्टा संख्या 27 दिनांक 23-7-1966 की पैमाईश की गई जिसमें उत्तर-दक्षिण का कुल नाप 121 फीट व पूर्व-पश्चिम का नाप 73 फीट कुल नाप 8833 फीट का पैमाईश/मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित किया गया है, जबकि पट्टा संख्या 27 दिनांक 23-7-1966 में कुल नाप 7072 फीट है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वयं एक अतिक्रमी होकर रास्ते की भूमि एवं अप्रार्थीगण के आवासीय भूखण्ड पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया है। पंचायत समिति, शिवगंज की तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्र क्रमांक प.स.सि./SDM/2022-23/470 दिनांक 03-3-2023 में भी स्पष्ट किया है कि प्रार्थी के मकान के पूर्व दिशा में पहाड़ी इलाका होने से तथा उसका ढलान प्रार्थी के मकान की ओर से होने से पहाडी का पानी आने से नीवों में सिपेज होता है तथा प्रार्थी के दिवारों के अन्दर का प्लास्टर बिल्कुल सही पाया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पंचायत समिति, शिवगंज के भारसाधक अधिकारी ने उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह माना है कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से प्रार्थी की दिवार को नुकसान नहीं हो रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने कि नियत से केवल मात्र अपने दीवार का प्लास्टर कराने हेतु उक्त निगरानी आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया है। प्रार्थी द्वारा एक सिविल वाद भी माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, शिवगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके बाद संख्या 10/2023 थे उसका भी अन्तिम निस्तारण हो चुका है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री खंगार जी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी- कैलाशनगर को पंचायत संकल्प संख्या 3 दिनांक 15-8-2011 की अनुपालना में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 5223 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 18 दिनांक 03-11-2011 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। ....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही* सत्यमेव जयते

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि "प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि के कुछ भाग में आवासीय गृह/मकान निर्मित किया हुआ है, जो नया निर्माण जैसा प्रतीत हो रहा है तथा प्रश्नगत पट्टे की अधिकांश भूमि मौके पर खुली भूमि (OPEN LAND) प्रतीत हो रही है, जिस पर कोई निर्माण किया हुआ नही है।" इस प्रकार, उक्त फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा खंगार जी पुत्र झाला जी पुरोहित, निवासी–कैलाशनगर के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा संख्या 18 दिनांक 03–11–2011 को जारी किया गया है उस भूमि के मौके पर पुराना गृह बना हुआ नही है। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य (यथा विद्युत/नल बिल आदि) प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर पट्टा जारी करने के समय पुराना आवासीय गृह बना हुआ हो। यदि अप्रार्थीगण के कथनों के अनुसार यह मान भी लिया भी जाये कि उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर पूर्व में पुराना गृह निर्मित था और वह जर्जर होने से उसे हटाकर उसके स्थान पर अप्रार्थीगण द्वारा नये भवन का निर्माण करवाया है तो भी, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157–पुराने गृहों के विनियमितिकण में 300 वर्गगज संनिर्मित क्षेत्रफल से अधिक भूमि जो आवासीय परिसर के साथ, उपयोग में आ रही खाली आबादी भूमि का पट्टा नियम 157(1)(ii), उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत राशि जमा करके भूखण्ड़धारी के उपयोग में आ रही कब्जा शुदा आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है, लेकिन इस विचारणीय प्रकरण में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा उपर्युक्तानुसार नियम 157(1)(ii) में अंकित अनुसार राशि वसूल किये बिना ही क्षेत्रफल 5223 वर्गफीट भूमि, जिसमें अधिकांश भूमि खुली भूमि (open Land) का पट्टा जारी किया है, जो नियम विरुद्ध है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलशनगर द्वारा श्री खंगार जी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी–कैलाशनगर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 5223 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03–11–2011 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, कैलाशनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22 जुलाई, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय *सिरोही*
सत्यमेव जयते